संख्या-34/2015/1301/38-4-15-11(बजट)/2013टी0सी0

प्रेषक,

उमा कान्त मिश्र,
उप सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0 लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक: 29 सितम्बर, 2015**

विषय:- लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-83 में वित्तीय वर्ष- 2014-15 के लिए दी गई वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के पी0एल0ए0 में रखी धनराशि के आहरित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-47/सम्प्रेक्षा/लो0ग्रा0आ0यो0/2015, दिनांक-28 जुलाई, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 के वित्तीय वर्ष-2014-15 में शासनादेश संख्या-16/2015/460/38-4-15-11(बजट)/2013, दिनांक-31 मार्च, 2015 द्वारा धनराशि रूपये-8156.975 लाख जो जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ के पी0एल0ए0 में संग्रहित की गयी है, में से धनराशि **रू0-6098.205 लाख (रू0 साठ करोड़ अठ्ठानवे लाख बीस हजार पॉच सौ मात्र)** को आहरित कर व्यय करने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय, निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(1)- आहरित की जा रही धनराशि को योजना के शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक 20-02-2013 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-925/दस-2015-231/2012, दिनांक 30 मार्च, 2015 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(2)- पी0एल0ए0 से आहरित की जाने वाली धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/योजना में नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमो के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का समय से प्रत्येक दशा में उपयोगित कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- आहरित की जा रही धनराशि को किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(4)- पी0एल0ए0 से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा, जितनी धनराशि की वास्तविक आवश्यकता हो।

(5)- यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि पी0एल0ए0 से आहरित कर संबंधित संस्था/फर्म को दी जा रही धनराशि को संस्था/फर्म द्वारा 03 माह में निश्चित रूप से व्यय कर लिया जायेगा अन्यथा फर्म/संस्था को नियमानुसार दण्ड का भुगतान करना होगा। **-2/-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6)- पी0एल0ए0 में जमा धनराशि के आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

(7)- आहरित की जा रही धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर वित्त नियंत्रक एवं जिले स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

(8)- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थित हो, सीधे उत्तरदायी होंगे।

(9)- वित्त नियंत्रक भुगतान से पूर्व बिल में अंकित धनराशि के सही होने की पुष्टि अपने स्तर से निश्चित करेंगे।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2-919/दस-2015, दिनांक-29 सितम्बर, 2015 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव ।

संख्या-34/2015/1301(1)/38-4-2015, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ।
3- संयुक्त विकास आयुक्त, लखनऊ ।
4- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
5- परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ।
6- सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7- कोषाधिकारी, जिला कोषागार, लखनऊ ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
11- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
12- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
13- गार्डबुक ।

आज्ञा से,

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in